न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 266..... सन् 2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

बनाम

....

–: आदेश :–

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट – ''ए'' एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम **चीताखेड़ा** तहसील किशनगढ़ के **निजी खातेदारी भूमि** खसरा नम्बर 437/248 रकबा 3.4463 हैक्टेयर किस्म बारानी–। में से रकबा 0.2625 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 439/248 रकबा 7.1354 हैक्टेयर किस्म बंजर–2 1.6908 हैक्टेयर, बारानी–। 5.4446 हैक्टेयर में से रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.4738 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.0809 हैक्टेयर, बारानी–। 4.3929 हैक्टेयर में से रकबा 0.0450 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 251 रकबा 3.0176 हैक्टेयर किस्म बारानी–। 2.9205 हैक्टेयर, रास्ता 0.0971 हैक्टेयर में से रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। इस प्रकार तहसीलदार किशनगढ़ की अनुसंशा अनुसार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम **चीताखेड़ा** तहसील किशनगढ़ के **निजी खातेदारी भूमि** खसरा नम्बर 437/248 रकबा 3.4463 हैक्टेयर किस्म बारानी–। में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.2625 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 439/248 रकबा 7.1354 हैक्टेयर किस्म बंजर–2 1.6908 हैक्टेयर, बारानी–। 5.4446 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0200 हैक्टेयर भूमि, खसरा नम्बर 245 रकबा 4.4738 हैक्टेयर किस्म बंजर–। 0.0809 हैक्टेयर, बारानी–। 4.3929 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0450 हैक्टेयर भूमि एवं खसरा नम्बर 251 रकबा 3.0176 हैक्टेयर किस्म बारानी–। 2.9205 हैक्टेयर, रास्ता 0.0971 हैक्टेयर में जा रहे चालू रास्ते रकबा 0.0971 हैक्टेयर भूमि क[illegible] नक्शे में गै0मु0 रास्ता के नाम से करावे, किन्तु उक्त गै0मु0 रास्ता सम्बन्धित ख[illegible] नम्ब[illegible] के खातेदारान् की खातेदारी भूमि में ही दर्ज रहते हुए खातेदारी भूमि का रकबा [illegible] रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 16/12/2021.... को मेरे [illegible]क्षर व न्यायालय मुद्रा से [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.16 16:53:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)